NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 13-03-2025

विषय सूची

ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग
आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025
बलूचिस्तान ट्रेन हाइजैक
स्वास्थ्य देखभाल में करुणा
भारत में आवास की प्रवृति और प्रगति 2024
पूर्व फिलीपीन राष्ट्रपति दुतेर्ते को ICC ने गिरफ्तार किया

संक्षिप्त समाचार

युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना (PM-YUVA 3.0)
तेल क्षेत्र (नियामक और विकास) संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित
प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम
थैलेसीमिया
अस्त्र मिसाइल
मिशन अमृत सरोवर
लाई-डिटेक्टर टेस्ट (पॉलीग्राफ टेस्ट)

ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग

सन्दर्भ

- ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग में प्रोग्रामिंग, डिजाइन और कहानी कहने की प्रतिभा का उपयोग करके भारत को वैश्विक स्तर पर तकनीकी लीडरबोर्ड के शीर्ष पर पहुँचाने की क्षमता है।

परिचय

- भारत में 650 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्त्ता और युवा जनसंख्या है, इसलिए देश गेमिंग को तकनीकी नवाचार, रोजगार एवं आर्थिक विस्तार के चालक के रूप में उपयोग करने के लिए अद्वितीय स्थिति में है।
- हालाँकि, कठोर कराधान नीतियाँ, अस्पष्ट नियामक ढाँचे और पूर्वव्यापी कराधान की माँग से इस क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न होने का खतरा है।

ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग की संभावना

- यह भारत के प्रमुख उभरते क्षेत्रों में से एक है। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने तेजी से विकास किया है, जिसमें तीन भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है। PwC की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह क्षेत्र:
  - 2023 में ₹33,000 करोड़ का था।
  - 2028 तक इसके दोगुना होकर ₹66,000 करोड़ होने की संभावना है, जो 14.5% की CAGR से बढ़ रहा है।
  - इससे उद्योग में 2 लाख वर्तमान रोजगारों के अतिरिक्त 2-3 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन हो सकती हैं।

भारत के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऑनलाइन गेमिंग क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **प्रतिभा को बढ़ावा देना:** यह क्षेत्र प्रोग्रामिंग, डिजाइन और कहानी कहने में कौशल का उपयोग करता है, जिससे एक बहु-विषयक नवाचार केंद्र बनता है।
- **निर्यात को बढ़ावा देना:** भारत गेम डेवलपमेंट, एनीमेशन और AR/VR प्रौद्योगिकियों का वैश्विक निर्यातक बन सकता है।
- **स्टार्टअप और निवेश वृद्धि:** गेमिंग इकोसिस्टम उद्यम पूँजी और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित कर रहा है, जिससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं मजबूत हो रही है।

विकास में बाधा डाल रही नियामक चुनौतियाँ

- **अत्यधिक कराधान और पूर्वव्यापी GST माँग:** केंद्र सरकार की ₹1.12 लाख करोड़ की पूर्वव्यापी GST माँग पर उच्चतम न्यायालय के 2025 के स्थगन आदेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अत्यधिक कराधान उद्योग के अस्तित्व को कैसे खतरे में डालता है।
  - ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाया जाता है, जो जुआ, शराब और तम्बाकू के समान दर है।
  - छोटे स्टार्टअप इस तरह के कराधान का पालन करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे दिवालिया होने और बंद होने का जोखिम रहता है।
- **जुए और सट्टेबाजी के साथ टकराव:** कुछ राज्य सरकारों ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें जुआ के रूप में वर्गीकृत किया।
  - बाद में अदालतों ने इन प्रतिबंधों को पलट दिया, यह मानते हुए कि "कौशल के खेल" कानूनी हैं और जुए से अलग हैं।
  - हालाँकि, गेमिंग के बारे में गलत धारणाएँ बनी हुई हैं, जो नियामक स्पष्टता को प्रभावित करती हैं।
- **अवैध ऑफशोर गेमिंग साइट्स का जोखिम:** अत्यधिक कराधान उपयोगकर्त्ताओं को अनियमित जुआ साइटों की ओर ले जा सकता है, जो भारतीय नियामक पहुँच से परे ऑफशोर संचालित होती हैं।
  - ऐसे प्लेटफ़ॉर्म राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय जोखिम उत्पन्न करते हैं जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैध कर राजस्व से वंचित करते हैं।
- **सामाजिक चिंताएँ:** परिवार एवं नियामक गेमिंग की लत और अत्यधिक स्क्रीन समय के बारे में चिंतित हैं।

संतुलित विनियामक दृष्टिकोण की आवश्यकता

- **करों को तर्कसंगत बनाना:** ऑनलाइन गेमिंग पर जुआ, शराब और तम्बाकू के बराबर कर नहीं लगाया जाना चाहिए।
  - एक अलग कर संरचना प्रारंभ की जानी चाहिए, जिसमें गेमिंग को एक बुरी आदत के बजाय मनोरंजन और कौशल-आधारित उद्योग के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
- **एक पारदर्शी विनियामक ढाँचा विकसित करना:** उद्योग के हितधारकों के सहयोग से एक राष्ट्रीय नीति ढाँचा तैयार किया जाना चाहिए।

- **नीतियों में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:**
  - कौशल-आधारित गेमिंग बनाम जुआ भेद
  - उपभोक्ता सुरक्षा उपाय (आयु प्रतिबंध, स्व-बहिष्कार विकल्प)
  - डेटा गोपनीयता और सुरक्षा विनियम
- **गेमिंग अनुसंधान और विकास में निवेश को प्रोत्साहित करना:** सांस्कृतिक और शैक्षिक मूल्य वाले भारतीय मूल के गेम बनाने के लिए गेम डेवलपमेंट स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन।
  - AR, VR एवं AI-आधारित गेमिंग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गेमिंग इनक्यूबेटर और अनुसंधान केंद्र स्थापित करें।
- **उपभोक्ता जागरूकता को मजबूत करना:** गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म को समस्याग्रस्त व्यवहार की पहचान करने और जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए स्वयं को विनियमित करना चाहिए।

Source: TH

आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य भारत की आव्रजन प्रणाली में सुधार करना है।

प्रमुख प्रावधान

- **विधेयक चार स्वतंत्रता-पूर्व और स्वतंत्रता-पश्चात अधिनियमों को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है:** पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, विदेशियों का अधिनियम, 1946 और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000।
- **आव्रजन ब्यूरो की स्थापना:** विधेयक में एक आयुक्त की अध्यक्षता में आव्रजन ब्यूरो (धारा 5) की स्थापना का प्रस्ताव है।
  - ब्यूरो आव्रजन को विनियमित करेगा, विदेशियों के प्रवेश एवं निकास की देखरेख करेगा और केंद्र द्वारा निर्धारित अन्य कार्य करेगा।
- **विदेशियों पर केंद्र सरकार की शक्तियाँ:** धारा 7 के अंतर्गत, विधेयक केंद्र सरकार को निम्नलिखित अधिकार देता है:
  - प्रवेश और प्रस्थान बिंदु निर्दिष्ट करना और आगमन पर विदेशियों पर शर्तें लगाना।
  - विदेशियों को निर्दिष्ट क्षेत्रों में रहने का आदेश देना या उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकना।
  - विदेशियों के लिए पहचान सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रस्तुत करना और चिकित्सा जाँच अनिवार्य करना।
  - कुछ व्यक्तियों के साथ जुड़ाव या निर्दिष्ट गतिविधियों में शामिल होने को प्रतिबंधित करना।
- **दंड:** विधेयक में उन विदेशियों के लिए भी दंड का प्रावधान है जो:
- बिना वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं (धारा 21)।
- इसकी सजा पांच वर्ष तक की कैद और/या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना है।
- **वाहकों पर प्रतिबंध:** वाहक को ऐसे व्यक्ति या संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जो "हवाई जहाज या जहाज या परिवहन के किसी अन्य तरीके से वायु , जल या भूमि से यात्रियों या माल के परिवहन के व्यवसाय में लगे हुए हैं"।
  - धारा 17 के तहत, वाहकों को यात्रियों और चालक दल से संबंधित जानकारी किसी आव्रजन अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त के साथ साझा करने की आवश्यकता होती है।

विधेयक की आलोचना

- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** यह तर्क दिया जाता है कि यह विधेयक सरकार को विदेशियों पर अत्यधिक अधिकार प्रदान करके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो संभावित रूप से शरण चाहने वालों और वैध यात्रियों को प्रभावित करता है।
- **अपील तंत्र का अभाव:** पारदर्शी अपील तंत्र के बिना बाध्यकारी निर्देश जारी करने का सरकार का अधिकार प्राकृतिक न्याय और उचित प्रक्रिया पर चिंता उत्पन्न करता है।

निष्कर्ष

- आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025, भारत के आव्रजन ढाँचे को आधुनिक बनाने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।
- हालाँकि, मानवाधिकार निहितार्थों और व्यापक कार्यकारी प्राधिकरण के बारे में चिंताएँ अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर करती हैं।
- स्पष्ट कानूनी उपाय और न्यायिक निगरानी प्रारंभ करके इन चिंताओं को संबोधित करने से राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शासन के लिए एक निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।

Source: IE

बलूचिस्तान ट्रेन हाइजैक

सन्दर्भ

- बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने जाफर एक्सप्रेस के हाइजैक की जिम्मेदारी ली है।

बलूचिस्तान के बारे में

- यह पाकिस्तान के चार प्रांतों - बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा - में सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला प्रांत है।

- **नृजातीय समूह:** बलूच, ब्राहुई और पश्तून।
- इसमें तेल और गैस के साथ-साथ सोने और तांबे के भंडार भी हैं, लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यह आर्थिक विकास में पिछड़ा हुआ है।
- यह प्रांत 1948 से ही विद्रोहों, क्रूर राज्य दमन और बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन की एक शृंखला का स्थल रहा है।

विद्रोह की पृष्ठभूमि

- **1947 बलूचिस्तान का विभाजन:** इस क्षेत्र को चार रियासतों में विभाजित किया गया: कलात, खरान, लास बेला और मकरान।

  - विभाजन के दौरान, खारान, लास बेला और मकरान ने पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प चुना, जबकि कलात ने स्वतंत्रता का विकल्प चुना।
- **मुस्लिम लीग के साथ संधि:** 11 अगस्त, 1947 को कलात ने मुस्लिम लीग के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इसकी स्वतंत्रता को मान्यता दी गई।
- **ब्रिटिश प्रतिरोध:** मान्यता के बावजूद, अंग्रेजों ने एक ज्ञापन जारी किया जिसमें कहा गया कि कलात के खान अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं थे।
- **पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई:** 26 मार्च, 1948 को, पाकिस्तानी सेना बलूच तटीय क्षेत्रों (पसनी, जिवानी, तुर्बत) में चली गई।
  - कलात के खान के पास पाकिस्तान के साथ विलय के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

उग्रवाद और असंतोष

- **बलपूर्वक एकीकरण:** कलात के पाकिस्तान में विलय से बलूच लोगों में असंतोष और प्रतिरोध उत्पन्न हुआ।
  - कई राष्ट्रवादियों ने इस एकीकरण को अपनी स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान के साथ विश्वासघात के रूप में देखा।
- **विद्रोह:** बलूचिस्तान ने स्वतंत्रता के लिए कई विद्रोहों का अनुभव किया, हालाँकि पाकिस्तान उन्हें दबाने में कामयाब रहा।
- **वर्तमान स्थिति:** एक बार एक संप्रभु राज्य, बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का सबसे उपेक्षित और गरीबी से ग्रस्त प्रांत है।
  - सबसे बड़ा प्रांत और खनिजों से समृद्ध होने के बावजूद, बलूचिस्तान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में केवल 4% का योगदान देता है।
- **बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी:** BLA एक बलूच जातीय राष्ट्रवादी समूह है जो 2000 के दशक में बलूचिस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से उभरा था।
  - पाकिस्तान ने 2006 में संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे 2019 में वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया।

बलूचिस्तान पर भारत का दृष्टिकोण

- **जटिल स्थिति:** बलूचिस्तान पर भारत का दृष्टिकोण भू-राजनीति, क्षेत्रीय स्थिरता और पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों से प्रभावित है।
  - कश्मीर पर भारत-पाकिस्तान संघर्ष बलूचिस्तान में किसी भी तरह की भागीदारी को तनाव बढ़ाने का संभावित कारण बनाता है।
- **आत्मनिर्णय के लिए समर्थन:** भारत बलूचिस्तान के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचता है।
  - कुल मिलाकर, बलूचिस्तान पर भारत के दृष्टिकोण में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए बिना मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंता व्यक्त करना शामिल है।

Source: IE

स्वास्थ्य देखभाल में करुणा

संदर्भ

- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने "करुणा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल" शीर्षक से एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल में करुणा को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में मान्यता दी गई।

परिचय

- स्वास्थ्य सेवा में करुणा केवल एक नैतिक दायित्व नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता है। यह रोगी की रिकवरी दरों को बढ़ाता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, रोगी-प्रदाता संबंधों को मजबूत करता है, और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के बीच बर्नआउट को कम करता है।
  - करुणामय देखभाल प्रथाओं को शामिल करने से स्वास्थ्य सेवा वितरण में क्रांति आ सकती है, जिससे यह अधिक रोगी-केंद्रित, सतत और प्रभावी बन सकता है।

करुणामय स्वास्थ्य देखभाल के लाभ

कई अध्ययन करुणामय देखभाल और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के बीच सीधे संबंध पर बल देते हैं:

- **तेजी से रिकवरी और अस्पताल में कम समय तक रहना:**
  - स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के CCARE द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि करुणा से उपचारित मरीज तेजी से ठीक होते हैं और उन्हें अस्पताल में कम समय तक रहना पड़ता है।
  - जॉन्स हॉपकिन्स अस्पताल ने पाया कि 40 सेकंड की करुणामय बातचीत, जिसमें डॉक्टर एकजुटता व्यक्त करता है (उदाहरण के लिए, "हम सब एक साथ हैं"), रोगी की चिंता को काफी सीमा तक कम करता है और रिकवरी में सुधार करता है, विशेषकर कैंसर रोगियों के मामले में।
- **स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए लाभ:**
  - अध्ययनों से पता चलता है कि करुणामय देखभाल का अभ्यास करने से तनाव कम होता है, नौकरी से संतुष्टि बढ़ती है और रोगी के साथ सम्बन्ध सुदृढ़ होते हैं।

करुणा, सहानुभूति और समानुभूति

- **सहानुभूति, समानुभूति और करुणा शब्द प्राय:** एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, स्वास्थ्य देखभाल नैतिकता में उनके अलग-अलग अर्थ हैं:
  - **सहानुभूति:** एक अल्पकालिक, दया-आधारित प्रतिक्रिया जो जरूरी नहीं कि कार्रवाई की ओर ले जाए।
  - **समानुभूति:** दूसरों की समस्याओं में गहरी भावनात्मक तल्लीनता शामिल है, जो कभी-कभी देखभाल करने वालों में भावनात्मक थकान और चिंता का कारण बन सकती है (जिसे समानुभूति थकान के रूप में जाना जाता है)।
  - **करुणा:** एक संतुलित, समस्या-समाधान दृष्टिकोण, जहाँ स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता अपने रोगियों के दर्द को समझते हैं और महसूस करते हैं लेकिन भावनात्मक स्थिरता बनाए रखते हैं। यह व्यक्तिगत थकावट के बिना निरंतर, उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित करता है।
- इस प्रकार, करुणा चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक स्थायी मॉडल प्रदान करती है, जिससे वे अपने मानसिक और भावनात्मक कल्याण की रक्षा करते हुए रोगियों की प्रभावी रूप से मदद कर सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य में करुणा की तत्काल आवश्यकता

विश्व स्वास्थ्य संगठन और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अवसाद अपने व्यापक प्रभाव के कारण अगली वैश्विक महामारी बन सकता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को करुणामय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को एक बुनियादी स्तंभ के रूप में एकीकृत करना चाहिए।

- **केस स्टडी:** करुणा के माध्यम से प्रदीप का परिवर्तन
  - प्रदीप, एक बचाए गए बच्चे को उसके समुदाय द्वारा त्याग दिया गया था और उसे "शापित" करार दिया गया था। उसे बाल आश्रम में लाया गया, जो वैश्विक करुणा के लिए सत्यार्थी आंदोलन के अंतर्गत एक दीर्घकालिक पुनर्वास केंद्र है।
  - बाल आश्रम में देखभाल करने वालों ने, करुणामय पुनर्वास में प्रशिक्षित, उसे अपने आघात के बारे में बोलने के लिए मजबूर करने के बजाय, उसे ठीक होने के लिए भावनात्मक स्थान दिया।
  - समय के साथ, उसने दोस्ती की, अपना आत्मविश्वास फिर से बनाया और अपनी कहानी साझा की, यह दिखाते हुए कि कैसे करुणा मानसिक स्वास्थ्य सुधार में एक परिवर्तनकारी शक्ति है।

करुणामय स्वास्थ्य देखभाल को लागू करने की रणनीतियाँ

- **स्वास्थ्य सेवा नेतृत्व और नीति में करुणा को शामिल करना:**
  - स्वास्थ्य सेवा निर्णय लेने में केवल परिचालन दक्षता के बजाय करुणा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - उद्योग जगत के नेताओं, अस्पतालों और नीति थिंक टैंकों को स्वास्थ्य सेवा शासन में करुणा को एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में एकीकृत करना चाहिए।
- **स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को करुणामय व्यवहार में प्रशिक्षित करना:**
  - डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को करुणा-आधारित संचार और समानुभूति को करुणा से अलग करने में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे थकान से बच सकें।
  - चिकित्सा पाठ्यक्रमों में करुणामय देखभाल प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य के स्वास्थ्य पेशेवर रोगी-केंद्रित देखभाल के महत्त्व को समझें।
- **सभी के लिए समान एवं समावेशी स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना:**
  - दयालु स्वास्थ्य सेवा समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह होनी चाहिए:
    - बेहतर स्वास्थ्य सेवा आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण जनसंख्या के लिए सुलभ।
    - वंचित समुदायों (जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति) के लिए समावेशी।
    - सभी के लिए किफायती और सम्मानजनक उपचार सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में एकीकृत।
- **करुणामयी दृष्टिकोण के साथ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना:**

- मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को आघात-संवेदनशील और करुणापूर्ण देखभाल में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के आस-पास कलंक को कम करने के लिए समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और सर्वोत्तम अभ्यास

- **यूनाइटेड किंगडम (NHS):** सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में "करुणामय नेतृत्व" पर बल देता है।
- **जापान की सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली:** समग्र उपचार और करुणामय रोगी देखभाल को एकीकृत करती है।
- **स्कैंडिनेवियाई देश:** रोगी-प्रथम स्वास्थ्य देखभाल नीतियाँ हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को एक मौलिक स्वास्थ्य देखभाल सिद्धांत के रूप में शामिल करती हैं।
- भारत अपने आयुष्मान भारत एवं एम्स-नेतृत्व वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भी अन्दर तर इन सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना सकता है और उन्हें अनुकूलित कर सकता है।

Source: TH

भारत में आवास की प्रवृति और प्रगति 2024

समाचार में

- राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने भारत में आवास की प्रवृति और प्रगति पर रिपोर्ट, 2024 जारी की है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

- बैंक हाउसिंग फाइनेंस मार्केट पर प्रभुत्वशाली हैं, कुल हाउसिंग लोन में इनकी हिस्सेदारी 81% है जबकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ (HFC) 19% का योगदान देती हैं।
- 30-09-2024 तक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय समूह (LIG) की हिस्सेदारी 39%, मध्यम आय समूह (MIG) की हिस्सेदारी 44% एवं HIG की हिस्सेदारी बकाया व्यक्तिगत आवास ऋणों में 17% थी।
- भारत में केवल 5% इमारतों को 'ग्रीन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आवास क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल

- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G):** इसका उद्देश्य सस्ती आवास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण आवास विकास करना है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U):** शहरी क्षेत्रों में कम लागत वाली आवास परियोजनाओं का समर्थन करता है।
- **शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF):** सस्ती आवास के लिए अवसंरचना वित्तपोषण को बढ़ावा देता है।
- **किफायती किराये के आवास परिसर (ARHCs):** प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए आवास समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है।

आवास वित्त में चुनौतियाँ

- **ऋण प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताएँ:** पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी राज्यों को सबसे अधिक आवास वित्त संवितरण प्राप्त होता है।
- पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में ऋण पैठ कम है, जिससे इन क्षेत्रों में आवास की पहुँच सीमित है।
- **आवास वित्त कंपनियों (HFC) की सीमित पहुँच:** HFC लचीले ऋण पात्रता मानदंड और कुशल सेवा प्रदान करके महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - हालाँकि, HFC के पास ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में सीमित शाखा नेटवर्क है, जो आवास वित्त अंतर को समाप्त करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।
- **ग्रीन बिल्डिंग को कम अपनाना:** पर्यावरण के अनुकूल निर्माण की उच्च प्रारंभिक लागत, डेवलपर्स के लिए प्रोत्साहन की कमी और स्थिरता पर सीमित जागरूकता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

विकास के अवसर

- निर्माण में तकनीकी प्रगति जैसे कि एआई, डेटा एनालिटिक्स और पूर्वानुमान मॉडलिंग, 3डी प्रिंटिंग और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को ऐसे कारकों के रूप में पहचाना जाता है जो इस क्षेत्र में विकास को सुविधाजनक बना सकते हैं।

- मेट्रो और टियर-II और टियर-III शहरों में स्मार्ट शहरों और किफायती आवासों के लिए बढ़ती माँग और फंडिंग में वृद्धि के कारण माँग में वृद्धि हो रही है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) के बारे में

- **स्थापना:** 1988 में, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत।
- **उद्देश्य:** भारत में आवास वित्त बाजार को विनियमित, बढ़ावा देना और विकसित करना।
- **स्वामित्व:** 100% भारत सरकार के स्वामित्व में।
- **विनियमन:** NHB HFC की निगरानी करता है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) प्राथमिक नियामक है।
- **कार्य:** मध्यम वर्ग और निम्न आय समूहों के लिए आवास ऋण तक पहुँच में सुधार करके वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करता है।
  - अविकसित क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं का विस्तार करके आवास वित्त अंतर को समाप्त करता है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।

Source: PIB

पूर्व फिलीपीन राष्ट्रपति दुतेर्ते को ICC ने गिरफ्तार किया

समाचार में

- फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा जारी वारंट के आधार पर हिरासत में लिया गया।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

- उन पर अपने कार्यकाल के दौरान उनके घातक "ड्रग्स पर युद्ध" के कारण मानवता के खिलाफ़ अपराध का आरोप लगाया गया था, जहाँ 6,000 से अधिक संदिग्धों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र ने पाया था कि अधिकांश पीड़ित युवा, गरीब शहरी पुरुष थे।
- इसके अतिरिक्त, इससे पूर्व, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ़ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)

- **परिचय:**
  - अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की जाँच और मुकदमा चलाने के लिए स्थापित विश्व की पहली स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत है।
- **स्थापना:**
  - रोम संविधि (1998) के अंतर्गत, इसके 125 सदस्य देश हैं और चार मुख्य अपराधों पर इसका अधिकार क्षेत्र है:
    - नरसंहार (किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह का जानबूझकर विनाश)
    - मानवता के विरुद्ध अपराध (नागरिकों के विरुद्ध व्यापक हमले)
    - युद्ध अपराध (जिनेवा सम्मेलनों का गंभीर उल्लंघन)
    - आक्रामकता के अपराध (किसी राज्य द्वारा संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करते हुए आक्रामक कृत्य)
- **अधिकार क्षेत्र:** ICC अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तब कर सकता है जब:
  - किसी राज्य पक्ष के नागरिक द्वारा या किसी राज्य पक्ष के क्षेत्र में अपराध किए जाते हैं।
  - कोई गैर-सदस्य राज्य स्वेच्छा से ICC अधिकार क्षेत्र स्वीकार करता है।
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी मामले को ICC को संदर्भित कर सकती है (संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय VII)।
  - ICC अभियोक्ता स्वयं पहल करके या किसी राज्य पक्ष के अनुरोध पर जाँच प्रारंभ करता है।
- **प्रवर्तन चुनौतियाँ:**
  - ICC के पास अपना स्वयं का पुलिस बल नहीं है और गिरफ़्तारियों एवं प्रत्यर्पण के लिए यह राज्य के सहयोग पर निर्भर करता है।
  - गैर-सदस्य देशों पर सहयोग करने का कोई दायित्व नहीं है (जैसे, इज़राइल, अमेरिका, रूस, चीन और भारत)।

भारत ICC में क्यों नहीं शामिल हुआ?

- भारत ने रोम संविधि में शामिल होने से परहेज किया है, क्योंकि उसे निम्नलिखित बातों पर चिंता है:
  - **संप्रभुता और राजनीतिक हस्तक्षेप:** ICC का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधीन होना इस बात की चिंता उत्पन्न करता है कि इसका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जा सकता है। गैर-सदस्य देशों को बाध्य करने की शक्ति भारत की संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
  - **ICC अभियोक्ता की व्यापक शक्तियाँ:** ICC अभियोक्ता किसी राज्य पक्ष के संदर्भ के बिना, स्वप्रेरणा से (अपने आप) जाँच प्रारंभ कर सकता है। यह व्यापक शक्ति राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करती है।
  - **मुख्य सुरक्षा मुद्दों का बहिष्कार:** आतंकवाद और परमाणु हथियारों का उपयोग ICC के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। भारत का मानना है कि ये मुद्दे प्रमुख सुरक्षा खतरे पैदा करते हैं और इन्हें शामिल किया जाना चाहिए।
  - **सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षा का अभाव:** भारत को चिंता है कि संघर्ष क्षेत्रों (जैसे, कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत या संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन) में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को गलत तरीके से निशाना बनाया जा सकता है।
  - **चयनात्मक अभियोजन और पश्चिमी पूर्वाग्रह:** ICC शक्तिशाली देशों के सैन्य हस्तक्षेपों (जैसे, इराक में अमेरिका, यूक्रेन में रूस, नाटो का लीबिया में हस्तक्षेप) की जाँच करने में विफल रहा है।

विशेषताएँ	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)	अंतर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय (ICJ)
स्थापना	• 2002 (रोम संविधि, 1998)	• 9451 (संयुक्त राष्ट्र चार्टर)
अवस्थिति	• द हेग, नीदरलैंड	• द हेग, नीदरलैंड
क्षेत्राधिकार	• गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्ति	• राज्यों के बीच विवाद
सम्मिलित अपराध	• नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, आक्रामकता का अपराध	• कानूनी विवाद (संप्रभुता, सीमाएँ, संधि उल्लंघन) और सलाहकार राय
बंधनकारी प्रकृति	• ICC के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं लेकिन इनके क्रियान्वयन के लिए राज्य के सहयोग की आवश्यकता होती है	• ICJ के निर्णय बाध्यकारी हैं लेकिन इन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से प्रवर्तन)
सदस्यता	• 125 राज्य पक्ष (रोम संविधि)	• सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश
सुने गए मामले	• व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामले	• राज्यों के बीच दीवानी मामले
अपील	• इसमें अपील की व्यवस्था है	• कोई औपचारिक अपील प्रक्रिया नहीं

संक्षिप्त समाचार

युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना (PM-YUVA 3.0)

संदर्भ

- शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री योजना (PM-YUVA 3.0) का तीसरा संस्करण लॉन्च किया।

परिचय

- इस पहल का उद्देश्य भारत में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना है।
- यह कार्यक्रम वैश्विक मंच पर भारतीय साहित्य को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन और प्रकाशन के अवसर प्रदान करता है।
- **यह तीन विषयों पर केंद्रित है:** राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतीयों का योगदान; भारतीय ज्ञान प्रणाली; और आधुनिक भारत के निर्माता (1950-2025)।
- यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो ज्ञान-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
- नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, PM-YUVA 3.0 के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा।

Source: AIR

तेल क्षेत्र (नियामक और विकास) संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित

संदर्भ

- लोकसभा ने तेल क्षेत्र (नियामक और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 पारित कर दिया।
  - इस विधेयक को पहले राज्यसभा ने 3 दिसंबर, 2024 को पारित किया था।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- विधेयक तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में संशोधन करता है।
  - यह अधिनियम प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निष्कर्षण को नियंत्रित करता है।
- **खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार:** पहले के अधिनियम में खनिज तेलों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया था। संशोधन विधेयक परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें निम्नलिखित को शामिल करता है:
  - कोई भी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शेल गैस/तेल।
  - हालाँकि, यह स्पष्ट करता है कि खनिज तेलों में कोयला, लिग्नाइट या हीलियम शामिल नहीं होंगे।
- **पेट्रोलियम पट्टे की शुरूआत:** विधेयक खनन पट्टे को पेट्रोलियम पट्टे से बदल देता है, जो समान गतिविधियों को भी कवर करता है। अधिनियम के अंतर्गत दिए गए वर्तमान खनन पट्टे वैध बने रहेंगे।

Source: PIB

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

समाचार में

- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) की प्रगति का आकलन करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य भारत भर में 1300 चिन्हित क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढाँचे और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है।
- मई 2018 में पुनर्गठित इस योजना का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक अंतर को कम करना है।
- इसे राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
- यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच फंड-शेयरिंग पैटर्न पर कार्य करता है।

प्राथमिकताएँ और फोकस

- इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला कल्याण से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जैसे स्कूल, छात्रावास, प्रयोगशालाएँ, ITIs, अस्पताल और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण।
- परियोजनाओं के प्रस्तावों की सिफारिश राज्य स्तरीय समितियों (SLC) द्वारा की जाती है और मंत्रालय के भीतर अधिकार प्राप्त समिति (EC) द्वारा अनुमोदित की जाती है।

Source :Air

थैलेसीमिया

संदर्भ

- आंध्र प्रदेश थैलेसीमिया रोगियों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाने और गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को भी इसका लाभ देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि उपचार का व्यय बहुत अधिक है।
  - वर्तमान में सरकार NTR वैद्य सेवा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को उपचार उपलब्ध करा रही है।

थैलेसीमिया क्या है?

- थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है (जो माता-पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से फैलता है) जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर पाता है, लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) में प्रोटीन जो ऑक्सीजन ले जाता है।
- प्रत्येक लाल रक्त कोशिका में 240 से 300 मिलियन हीमोग्लोबिन अणु होते हैं, और इसकी कमी से गंभीर एनीमिया होता है, जिससे जीवित रहने के लिए प्रत्येक 2-3 सप्ताह में रक्त आधान की आवश्यकता होती है।

- **थैलेसीमिया के लक्षण:** एनीमिया के अतिरिक्त, रोगियों को निम्न अनुभव हो सकते हैं: कमज़ोर हड्डियाँ, देरी से या धीमी गति से विकास, आयरन का अधिक होना (लगातार आधान के कारण), भूख न लगना, प्लीहा या लीवर का बढ़ना और त्वचा का पीला पड़ना।

क्या आप जानते हैं?

- भारत को विश्व की थैलेसीमिया राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहाँ 1,00,000 से अधिक रोगी उपचार की कमी के कारण 20 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं।
  - भारत में थैलेसीमिया का प्रथम मामला 1938 में सामने आया था।
- भारत में, थैलेसीमिया को दो अन्य रक्त विकारों (हीमोफीलिया और सिकल सेल रोग) के साथ, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में एक मानक विकलांगता के रूप में मान्यता दी गई थी।
- प्रत्येक वर्ष, जनता और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है।

Source: TH

अस्त्र मिसाइल

संदर्भ

- स्वदेश निर्मित तेजस हल्के लड़ाकू विमान ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर वायु से वायु में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

परिचय

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित, अस्त्र एक उन्नत दृश्य-सीमा से परे वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल (BVRAAM) है जिसे 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन सिस्टम से लैस, यह लक्ष्य भेदने में उच्च परिशुद्धता सुनिश्चित करता है।
- भारतीय वायु सेना (IAF) में शामिल, अस्त्र मैक 4 से अधिक गति प्राप्त करने और 20 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने की अपनी क्षमता के साथ भारत की वायु रक्षा को मजबूत करता है, जिससे यह हवाई युद्ध में अत्यधिक प्रभावी हो जाता है।

Source: DD News

मिशन अमृत सरोवर

समाचार में

- भारतीय रेलवे केंद्र सरकार के मिशन अमृत सरोवर के तहत तालाब खोदेगी जिसका उद्देश्य देश में जल की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान करना है।

मिशन अमृत सरोवर

- **परिचय:** इसे 24 अप्रैल, 2022 को पूरे भारत में तालाबों (अमृत सरोवरों) को विकसित और पुनर्जीवित करके भविष्य के लिए जल संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था।
  - इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों को विकसित या पुनर्जीवित करना है, जिसकी कुल लागत देश भर में लगभग 50,000 पाउंड है।
- **विशेषताएँ:**
  - यह कई मंत्रालयों की भागीदारी के साथ एक "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण है:
    - ग्रामीण विकास, जल शक्ति, संस्कृति, पंचायती राज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, और तकनीकी संगठन।
  - ये कार्य राज्यों और जिलों द्वारा विभिन्न चल रही योजनाओं के अभिसरण के साथ कार्यान्वित किए जा रहे हैं जैसे:
    - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS), 15वें वित्त आयोग अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उप-योजनाएँ जैसे वाटरशेड विकास घटक और हर खेतको पानी।
    - इस पहल का समर्थन करने के लिए क्राउडफंडिंग और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) जैसे सार्वजनिक योगदान की अनुमति है।

महत्त्व

- अमृत सरोवर सिंचाई, मत्स्य पालन, बत्तख पालन, सिंघाड़े की खेती, जल पर्यटन और अन्य संबंधित गतिविधियों के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करेंगे।
- तालाब स्थानीय क्षेत्रों में सामाजिक मेलजोल के स्थान के रूप में कार्य करेंगे और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के लिए स्थल के रूप में कार्य करेंगे।

प्रगति

- जनवरी 2025 तक 68,000 से अधिक सरोवर पूरे हो चुके हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सतही और भूजल उपलब्धता में सुधार हुआ है।
- चरण दो को जल उपलब्धता, सामुदायिक भागीदारी (जन भागीदारी), जलवायु प्रतिरोधकता मजबूत करने और स्थायी लाभ के लिए पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रारंभ किया गया था।

Source :TH

लाई-डिटेक्टर टेस्ट (पॉलीग्राफ टेस्ट)

सन्दर्भ

- मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया।

पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है?

पॉलीग्राफ टेस्ट को सामान्यत: लाई डिटेक्टर टेस्ट के रूप में जाना जाता है।

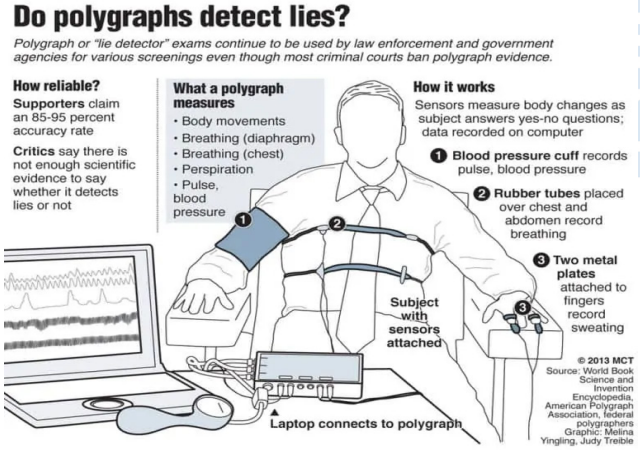

- यह इस धारणा पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो शारीरिक प्रतिक्रियाएँ (दिल की धड़कन, साँस लेने में बदलाव, पसीना आना, आदि) उससे अलग होती हैं जो अन्यथा होतीं।
- कार्डियो-कफ़ या संवेदनशील इलेक्ट्रोड जैसे उपकरण व्यक्ति से जुड़े होते हैं, और रक्तचाप, नाड़ी, रक्त प्रवाह आदि जैसे चर मापे जाते हैं, जैसे ही उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
- प्रत्येक प्रतिक्रिया को एक संख्यात्मक मान दिया जाता है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि व्यक्ति सच बोल रहा है, धोखा दे रहा है, या अनिश्चित है।

क्या परीक्षण के परिणाम साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं?

- 'सेल्वी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य' (2010) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परीक्षण के परिणामों को "स्वीकारोक्ति" नहीं माना जा सकता।
- हालाँकि, इस तरह के स्वैच्छिक परीक्षण की सहायता से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी या सामग्री को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

Source: TH

■■■■